

अल्पकालीन निविदा सूचना


जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निविदा प्रणाली के माध्यम से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन मुहरबन्द निविदा दिनांक 23/05/2023 को अपरान्ह 2:00 बजे तक जलकल विभाग मे रखे निविदा बाक्स मे आमंत्रित की जाती है। धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ0डी0आर0 के रूप में मान्य होगी जो महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक होगी। निविदा की नियम एवं शर्तें नगर निगम, गोरखपुर की वेबसाईट www.nagarnigamgkp.org पर भी उपलब्ध है। कार्य का विवरण निम्नवत है :-

निविदा प्रकाशन की तिथि	23/05/2023			
निविदा खरीदने की तिथि	23/05/2023 को 10 बजे से 01/06/2023 को 12 बजे तक			
निविदा खोलने की तिथि	02/06/2023 अपरान्ह: 3.00 बजे तक			
क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (GST सहित)	निविदा मूल्य (GST सहित)	धरोहर धनराशि
1.	सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई कर्मियों हेतु सुरक्षा उपकरण (Multi Gas Detector, Breathing Apparatus, Safety Belts and Harnesses, Helmet Face shield, & attached Light)	6,92,597.00	1180.00	70,000.00

निविदा की प्रमुख शर्तें :

- दिनांक 23/05/2023 को प्रकाशित निविदा मे आमंत्रित आपूर्ति कार्यों के लिए मुहरबन्द निविदा नगर निगम के उपयुक्त श्रेणी मे ठेकेदारों से नगर निगम गोरखपुर के जलकल विभाग मे रखे निविदा बाक्स मे प्राप्त की जायेगी, एवं निविदा पंजीकृत डाक से भी प्रेषित की जा सकेगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा दर प्रतिशत मे नियत फार्म पर देनी होगी। निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।
- निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है, जो कि निविदा प्रपत्र मूल्य का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
- धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ0डी0आर0 के रूप में मान्य होगी जो महाप्रबन्धक जलकल नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी रूप मे जमानत की धनराशि मान्य नही होगी। कोई रिफरेन्स अथवा संयुक्त जमानत धनराशि मान्य नही होगी तथा स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंको अथवा पोस्ट आफिस द्वारा ही जारी जमानत धनराशि (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) संलग्न की जाये ताकि सत्यापन मे कोई असुविधा न हो।
- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की 2 वर्ष की गारण्टी/वारण्टी पूर्ण रूप से दी जायेगी।
- सामग्री की आपूर्ति के साथ सभी सेप्टी उपकरण CPHHEO नार्मस मे भारत सरकार द्वारा सर्टिफाईड प्रमाण पत्र देना होगा।
- निविदा की दर अंकों व शब्दों मे स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। शब्दों में अंकित न होने की दशा में निविदा मान्य नही होगी। दर अंकित करते समय "कम" अथवा "अधिक" शब्द का उल्लेख होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अंकों तथा शब्दों में उल्लेखित दर की भिन्नता पाये जाने एवं निर्धारित स्थान पर निविदादाता द्वारा दर अंकित न करने की स्थिति में निविदा अवैध एवं अमान्य करते हुए लिफाफा बन्द कर दिया जायेगा। निविदा दरें ओवर आल घरसेन्टेज बेसिस पर ही मान्य होगी।


7. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ डाक व्यय का भुगतान नकद/मनीआर्डर--द्वारा करना होगा।
8. डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्ही निविदाओं पर विचार किया जायेगा जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होंगी।
9. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
10. निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि कोई अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।
11. निविदा की वैधता निविदा पड़ने की तिथि से 06 माह तक होगी।
12. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा एवं फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदा के साथ ठेकेदार को नवीनीकरण/पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा जो ठेकेदार जिस श्रेणी में पंजीकृत है उसकी निविदा मात्र उसी श्रेणी के लिए मान्य होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के नवीनीकृत/पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु अधिकृत हैं। निविदा प्रपत्र के साथ जमा रशीद अथवा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
15. निविदा के साथ निविदा बिक्री की रसीद मूल रूप से संलग्न करना होगा, जिसे ठेकेदार को स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
16. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कार्य किसी अन्य एजेन्सी से पूर्ण कराएँ तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
18. निविदादाता जी0एस0टी0 एवं आयकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
19. फर्म/ठेकेदार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/ठेकेदार कहीं किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी सस्था में पिछले 05 वर्ष में ब्लैक लिस्टेड नहीं रही हों।
20. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।
21. निविदा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर करनी होगी।
22. निविदादाता को दरें जी0एस0टी0 सहित भरना होगा।


महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, गोरखपुर।


नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. टेण्डर समिति, नगर निगम, गोरखपुर।
2. प्रभारी अधिकारी विज्ञापन नगर निगम, गोरखपुर।
3. सहायक अभियन्ता (जल), नगर निगम, गोरखपुर।
4. नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।


महाप्रबन्धक (जलकल)
नगर निगम, गोरखपुर।